साप्ताहिक
Live not just breaTHE

दि कार्मिक पोस्ट

MPHIN/2015/63220
MP/IDC1528/22-23

Global School Of Excellence, Obedullaganj

वर्ष : 8, अंक : 38 (प्रति बुधवार), इन्दौर, 10 मई 2023 से 16 मई 2023 पेज : 8 कीमत : 3 रुपये

अवैध निर्माण और गंगा प्रदूषण के मामले में जल्द से जल्द रिपोर्ट सबमिट करे समिति- एनजीटी

भोपाल नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने 8 मई 2023 को संयुक्त समिति को निर्देश दिया है कि वो हरिद्वार में कथित तौर पर किए जा रहे अवैध निर्माण और उसके कारण गंगा में बढ़ते प्रदूषण के मामले में अपनी रिपोर्ट कोर्ट को सौंपे। मामला हरिद्वार में बेलीराम आश्रम का है। कोर्ट ने जल्द से जल्द रिपोर्ट सबमिट करने का निर्देश दिया है। साथ ही चेतावनी दी है कि अगर आगे भी चूक होती है तो कठोर कदम उठाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता। इस मामले में अगली सुनवाई 31 जुलाई, 2023 को होगी।

गौरतलब है कि एनजीटी ने 3 मार्च, 2023 को दिए अपने आदेश में उत्तराखंड पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राष्ट्रीय गंगा मिशन और हरिद्वार के जिला मजिस्ट्रेट की एक संयुक्त समिति से मामले पर तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी थी। हालांकि इस मामले में अब तक कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने सहारनपुर में स्टार माइंस द्वारा यमुना से किए जा रहे रेत खनन पर रोक लगा दी है। मामला उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में गांव बरथा कोरसी का है। 8 मई, 2023 को कोर्ट द्वारा दिया यह आदेश संयुक्त समिति की रिपोर्ट के मद्देनजर आया है। गौरतलब है कि मैसर्स स्टार माइंस को 7,56,000 क्यूबिक मीटर के वार्षिक उत्पादन के लिए यमुना में 3 मीटर की गहराई तक खनन की अनुमति दी थी। इस मामले में 7 अप्रैल, 2023 को कोर्ट में संयुक्त समिति द्वारा सौंपी रिपोर्ट में कहा गया है कि बहाली के लिए किए अध्ययन के अनुसार यहां 700,626 क्यूबिक मीटर खनन किया जा सकता है, जिसकी अनुमानित अवधि 1.35 वर्ष है। जानकारी दी गई है कि वास्तव में वहां 756,000 क्यूबिक मीटर के वार्षिक उत्पादन के लिए तीन मीटर की गहराई तक खनन किया जा चुका है और खनन की अधिकतम 1.35 वर्ष की अवधि पूरी हो चुकी है। ऐसे में कानूनी तौर पर इसके दोबारा मूल्याङ्कन के और खनन नहीं किया जा सकता। ऐसे में न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल और न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल की बेंच ने यह आदेश दिया है कि वहां आगे खनन बंद कर दिया जाना चाहिए। साथ ही एनजीटी ने वाहनों और खनन की निगरानी के लिए जरूरी उपाय करने की बात भी कही है। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अपनी 8 मई 2023 को सबमिट रिपोर्ट में माना है कि आस-पास के क्षेत्रों से सीवेज ले जा रह एक नाले का दूषित पानी बिना किसी उपचार के चांदे बाबा तालाब में डाला जा रहा है। मामला उत्तरप्रदेश में लखनऊ का है। एसपीसीबी की केंद्रीय प्रयोगशाला में नाले में छोड़े जा रहे सीवेज के नमूना का विश्लेषण किया गया है। विश्लेषण से पता चला कि इस पानी में बीओडी, टोटल कॉलिफॉर्म और फीकल कोलीफॉर्म की मात्रा बहुत ज्यादा है, जबकि इसमें डिसॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा शून्य पाई गई है। एनजीटी को सौंपी इस रिपोर्ट में कहा गया है कि, इलाके का दूषित सीवेज सीधे चांदे बाबा तालाब में मिल रहा है, जो तालाब में पानी की गुणवत्ता को खराब कर रहा है। वहीं इस बाबत एक मई, 2023 के पत्र के माध्यम से जानकारी दी गई है कि तालाब के पास आयरन ट्री गार्ड के साथ विभिन्न प्रजातियों के 1000 पौधे लगाए जाएंगे। वहां अब तक 350 पौधे रोपे जा चुके हैं और शेष कार्य प्रगति पर है, जो आने वाले बरसात के मौसम में, जुलाई 2023 तक पूरा कर लिया जाएगा।

प्रदूषण से स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव के अध्ययन के लिये एम्स और पीसीबी में करार

भावी पीढ़ी की स्वास्थ्य सुरक्षा के लिये यह पहल बनेगी मिसाल

भोपाल मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के मध्य मंगलवार को %पर्यावरण प्रदूषण का मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव% पर संयुक्त अध्ययन और अनुसंधान के लिये एमओयू पर हस्ताक्षर किये गये। दोनों संस्थान के विषय-विशेषज्ञों द्वारा किया गया यह अध्ययन भावी पीढ़ी की स्वास्थ्य सुरक्षा के लिये देश में एक नई मिसाल कायम करेगा। एमओयू पर बोर्ड के सदस्य सचिव श्री चन्द्रमोहन ठाकुर और एम्स के निदेशक एवं कार्यपालन अधिकारी डॉ. अजय सिंह ने हस्ताक्षर किये।श्री ठाकुर ने कहा कि दोनों संस्थानों के विशेषज्ञों द्वारा संयुक्त अध्ययन से यह पता लगेगा कि वातावरण में उपस्थित प्रदूषण के विभिन्न प्रदूषकों का मानव स्वास्थ्य पर क्या दुष्प्रभाव पड़ता है और उनसे कौन-कौन सी बीमारियाँ उत्पन्न होती हैं। प्रदूषण से कैंसर, श्वसन संबंधी और हृदय रोग आदि गंभीर बीमारियों पर अंकुश लगाने और इनके आधार पर स्वास्थ्य नीति निर्धारण में मदद मिलेगी। यह शोध अन्य राज्यों में हो रहे शोध कार्य में भी सहायक होंगे। फिलहाल करार 2 वर्ष के लिये किया गया है। करार अध्ययन के निष्कर्षों के आधार पर बढ़ाया भी जा सकता है। डॉ. अजय सिंह ने कहा कि वायु प्रदूषण और इससे होने वाली बीमारियों के नियंत्रण में यह करार एक टर्निंग पाइंट सिद्ध होगा। डॉ. सिंह ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों में प्रदूषण से होने वाली विभिन्न बीमारियों के अध्ययन में इससे बहुत मदद मिलेगी। प्रमाणिक डाटा उपलब्ध होने के कारण देश-प्रदेश में कारगर स्वास्थ्य नीति बनाने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि जल-प्रदूषण भी अनेक संक्रामक और गंभीर रोगों का कारण बनता है। संयुक्त अध्ययन इन बीमारियों के नियंत्रण और निजात की दिशा में एक अनूठी पहल है, जो अन्य राज्यों के समक्ष एक मिसाल कायम करेगा। संचालक म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड श्री ए.एन. मिश्रा सहित दोनों ही संस्थानों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

खेतों में स्प्रे की लागत नैनो यूरिया को बना रही दोगुना महंगा

नई दिल्ली। उपज न बढ़ने के साथ खेती में लागत बढ़ा जाने का का मुद्दा भी किसानों के सामने चुनौती है। सोनीपत में भटगांव के 60 वर्षीय आजाद फौजी कहते हैं कि नैनो यूरिया का स्प्रे कराना किसानों को काफी महंगा पड़ रहा है। नैनो यूरिया मिश्रित पानी की एक 25 लीटर की टंकी का छिड़काव कराने के लिए प्रति बीघा में कम से कम 40 रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। जबकि पारंपरिक यूरिया कुछ ही घंटों में हाथों से आसानी से किसान खुद छोड़ देता है।

नैनो यूरिया की 2 से 4 एमएल बूंद एक लीटर पानी में मिलाने की हिदायत दी जाती है। किसान 4 एमएल नैनो तरल यूरिया को एक लीटर में मिला रहे हैं। इस आधार पर हरियाणा में 5 बीघा जमीन यानी एक एकड़ में एक बोतल नैनो यूरिया की खपत होती है साथ ही इसे छिड़कने के लिए प्रति बीघा एक टंकी यानी 40 रुपए देने पड़ते हैं। भटगांव के ही 19 वर्षीय किसान पवन बताते हैं कि स्प्रे के बोझ के चलते पारंपरिक यूरिया और नैनो यूरिया की कीमत में बड़ा अंतर आ जाता है। वह बताते हैं कि पारंपरिक यूरिया के 45 किलो वाले एक कट्टे की कीमत करीब 250 रुपए है और नैनो तरल यूरिया की भी कीमत करीब 240 रुपए है। (बाद में इसमें 15 रुपए घटाए गए) कीमत में फर्क तब आता है जब नैनो यूरिया को स्प्रे करने के लिए प्रति टंकी 40 रुपए देनी पड़ती है। 500 एमएल नैनो तरल यूरिया की एक बोतल का इस्तेमाल 5 बीघे (एक किल्ले) में किया जाता है, जिसमें कुल 5 टंकी लगती है। अगर एक बोतल में 5 टंकी स्प्रे का मजदूरी खर्च अगर जोड़ दें तो नैनो तरल यूरिया की एक बोतल स्प्रे की मजदूरी के साथ हमें करीब 440 रुपए की पड़ती है। यह पारंपरिक यूरिया से दोगुनी महंगी पड़ जाती है। बीते रबी सीजन में कई किसानों ने इफको के नैनो तरल यूरिया के 500 एमएल की बोतल को 240 रुपए में खरीदा था हालांकि, नवंबर, 2022 के शुरुआत में ही 500 एमएल के एक बोतल की कीमत 15 रुपए घटा दी

गई थी, जिसके बाद नैनो तरल यूरिया की कीमत 225 रुपए बोतल हो गई है। 15 रुपए घटाने के बाद भी 40 रुपए प्रत्येक टंकी स्प्रे की लागत नैनो तरल यूरिया को सब्सिडी वाले पारंपरिक खाद की तुलना में महंगा बना देती है। असमय वर्षा ने पहले ही किसानों को 30 फीसदी तक नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया है। वहीं नैनो के बाद खेती में और लागत बढ़ी है। मिसाल के तौर पर हरियाणा के भटगांव में पवन ने अपने 5 बीघे (एक एकड़ खेत)में गेहूं के बीज से बुआई और कटाई तक करीब 11925 रुपए की लागत लगाई थी। प्रति बीघे 40 रुपए की दर से उसे पांच बीघे में 200 रुपए तक नैनो तरल यूरिया के स्प्रे का अतिरिक्त खर्च करना पड़ा। पवन का कहना है कि जो बीज खेती में लगाया जा रहा है उसकी उपज 5 क्विंतल प्रति बीघे तक बताई जा रही है। हालांकि उसे 3.5 कुंतल गेहूं ही प्रति बीघा हासिल हुआ। 2022 में उसे 4 कुंतल प्रति बीघा गेहूं मिला था।

यदि किसान को प्रति बीघे बिना किसी नुकसान के 5 कुंतल गेहूं हासिल होते तो वह 2100 रुपए प्रति क्वितंल की दर से 52,500 रुपए हासिल करता। जबकि अभी वह 3.5 क्विंतल प्रति बीघे की दर से औसत 36,750 रुपए ही हासिल कर पाया। नैनो यूरिया का इस्तेमाल करने के बाद भी उसकी उपज नहीं बढ़ी। पवन के मुताबिक कटाई के समय असमय बारिश ने 2022 की तुलना में इस वर्ष 0.5 क्विंतल का प्रत्येक बीघे में नुकसान किया। पवन को लागत निकालने के बाद 24825 रुपए कुल 5 बीघे के गेहूं की कीमत मिली। यानी करीब 5 हजार रुपए करीब प्रत्येक बीघे पर मिले। 5 बीघे यानी एक एकड़ का किसान एक सीजन यानी 6 महीने में करीब 25 हजार रुपए ही कमा रहा है जो कि सालाना करीब 50 हजार यानी 5 हजार रुपए महीना और 150 रुपए प्रतिदिन है। उत्तर प्रदेश में बागपत के बली गांव के 60 वर्षीय किसान सत्यवीर कहते हैं कि सहकारी समितियों से जो भी सब्सिडी वाली यूरिया दी जाती है उसके साथ अनिवार्य तौर पर न्यूनतम एक बोतल इफको की नैनो यूरिया की बोतल दी जाती है। वह कहते हैं कि यदि जबरदस्ती उन्हें यह बोतल न दी जाए तो वह इसकी जगह पारंपरिक यूरिया ही इस्तेमाल करें। उन्होंने भी अनुभव किया कि नैनो यूरिया का कोई खास अंतर नहीं पड़ रहा है। इफको ने अपने जवाब में कहा कि हमने सहकारी समितियों से कोई करार नहीं किया है। हमारी ऐसी कोई नीति नहीं है न ही हम इसकी बिक्री जबरदस्ती कर रहे हैं। हम नैनो यूरिया के ज्यादा इस्तेमाल के लिए अपने स्टाफ और सोसाइटी को इंसेटिव देते हैं। हालांकि, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश सभी जगह सहकारी समितियों के जरिए सब्सिडी वाला पारंपरिक यूरिया लेने के साथ ही किसानों को नैनो यूरिया की बोतल दी जा रही है। वहीं, नैनो यूरिया के मामले में पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट में प्रधानमंत्री के हवाले से कहा गया है कि केमिकल फर्टिलाइजर उपभोग में खासतौर से यूरिया में 50 फीसदी की कमी लाना है। सब्सिडी वाले पारंपरिक यूरिया उपभोग कम करने की घोषणा पर हरियाणा में सोनीपत के किसान विज्ञान केंद्र से सेवानिवृत्त प्रिंसिपल साइंटिस्ट जेके नंदाल डाउन टू अर्थ से बताते हैं कि नैनो तरल यूरिया कभी पारंपरिक यूरिया को पूरी तरह से समाप्त नहीं कर पाएगी। नैनो तरल यूरिया बहुत हद तक कुल यूरिया में अपनी हिस्सेदारी 15 से 20 फीसदी तक ही हिस्सेदारी कर पाएगी। वह इसके प्रभाव को लेकर कहते हैं कि किसान इसे किस स्टेज पर प्रयोग करता है यह भी महत्वपूर्ण है। इसकी एक सीमा है यह तभी इस्तेमाल किया जा सकता है जब पत्ते आ जाएं। यह एक सीमित विकल्प के तौर पर मौजूद रहेगा। इसके उपज बढाने के दावे पर वह भी कुछ स्पष्ट नहीं कहते। नंदाल बताते हैं कि नैनो तरल यूरिया को लाने में थोड़ी जल्दी दिखाई गई है।

एक पेड़ ऐसा भी जो पर्यावरण का है दुश्मन, आखिर क्या है इसकी वजह

नई दिल्ली। पेड़-पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ, ये बात तो सभी ने सुनी ही होगी। इस पृथ्वी पर पेड़ पौधे हमारे जीवन जीने के लिए अहम रोल अदा करते हैं। पेड़-पौधों के बिना तो जीवन की कल्पना भी नामुमकिन सी है। धरती पर मौजूद पेड़-पौधों से ही हमें सांस लेने के लिए वायु मिलती है। पेड़-पौधे पर्यावरण को मेनेटेन रखने में भी अहम किरदार निभाते हैं। इसीलिए ये कहा जाता है कि पेड़ पौधों को ज्यादा से ज्यादा मात्रा मे लगाओ और पर्यावरण बचाओ। लेकिन इससे परेय क्या आपको ये पता है कि एक पेड़ ऐसा भी है जिसे पर्यावरण का दुश्मन भी कहा जाता है? क्या आप जानते हैं कि उसे पर्यावरण का दुश्मन क्यों कहा जाता है। अगर आप नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, आज हम इस खबर के जरिए आपको इसी पेड़ के बारे में बताएंगे। आप सभी लोगों ने पेड़-पौधों के कई फायदों के बारे में पढ़ा होगा; लेकिन कोई पेड़ पर्यावरण का दुश्मन भी हो सकता, ऐसा आप में से कई लोगों ने नहीं सुना होगा। इस पेड़ को हम सभी यूकेलिप्टस) के नाम से जानते हैं। कई जगहों पर इसे सफेदा नाम से भी जाना जाता है। अब सवाल ये है कि आखिर यूकेलिप्टस को पर्यावरण का दुश्मन क्यों कहा जाता है? दरअसल, ये पेड़ जमीन से बहुत ज्यादा मात्रा में पानी को कंज्यूम करता है। इसीलिए इस पेड़ को जहां पर भी लगया जाता है वहां इसके आस पास कोई भी दूसरा पेड़ नहीं पनप पाता। यहां तक कि हरी घास भी इन सफेदा के पेड़ों के कारण नहीं पनप पाती। यही कारण है कि इसे पर्यावरण का दुश्मन कहा जाता है। आपको जानतकारी के लिए बता दें कि सफेदा के पेड़ दलदली जमीन के लिए ही सर्वाधिक उपयुक्त होते हैं। दरअसल, कभी दलदली जमीन को सूखी धरा में बदलने के लिए अंग्रेजों के जमाने में यूकेलिप्टस भारत लाया गया था। लेकिन आज के समय में ये पेड़ पर्यावरण के लिए मुसीबतों का सबब बनता जा रहा है।

साभार - डाउन टू अर्थ

पर्यावरण – हिंदुकुश हिमालय की हलचलों के साथ बढ़ती हिमस्खलन की घटनाएं और हादसे

नई दिल्ली। इस समय उत्तराखंड में हिमस्खलनों की चिंताजनक बारंबरता का असर साहसिक पर्यटन, चारधाम यात्रा व सामरिक महत्व के निर्माणों व आवागमन पर साफ दिख रहा है। विगत सात मई (रविवार) को उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के दारमा घाटी में चीन सीमा के पास लाखुंग नाले में अचानक हिमस्खलन होने पर सात स्थानीय निवासियों को भागकर जान बचानी पड़ी थी। हिमस्खलन से सात से ज्यादा गांवों का भी सड़क संपर्क भी टूट गया। बंद मार्ग के कारण जगह-जगह कुछ पर्यटक व स्थानीय लोग भी फंस गए। इससे पहले चार मई को भैरों ग्लेशियर से हिमस्खलन होने पर केदारनाथ का पैदल मार्ग बंद हो गया था। चलायमान हिमखंडों का सड़कों तक पहुंचना असामान्य नहीं है। तभी तो उत्तराखंड में चारधाम यात्रा से पहले बद्रीनाथ मोटर मार्ग या केदारनाथ पैदल मार्ग से कई फीट मोटी बर्फ की परत को काटकर खाइयों में धकेल दिया जाता है।

हिमस्खलन या ऐवालांच 30 से 45 डिग्री के पर्वतीय ढलानों से नीचे मैदानों, घाटियों की ओर ठोस बर्फ और उनके साथ पत्थर, चटटानें, मिटटी, पानी का तेज बहाव होता है। हिमस्खलन जटिल प्रक्रियाओं व कारकों से पैदा होते हैं। भू-आकृतिकीय कारण भी नियामक होते हैं। किसी खास दिन की तेज धूप या हिमस्खलनों के पहले की बरसात भी इसका कारण बन जाती है। फिसलते-गिरते हुए हिमखंडों का आंतरिक ताप स्वाभाविक रूप से बढ़ने लगता है और उनसे भारी मात्रा में जल प्रवाह भी हो सकता है। हिमस्खलन व भूस्खलन एक जैसी ही प्रक्रिया होती है। ढलानों पर आए भूखंड या हिमखंड गुरुत्वाकर्षण शक्ति के वशीभूत होकर नीचे गिरने लगते हैं। अपने वजन व आधार में पानी के बहाव, आंतरिक तनावों के कारण तेजी से ग्लेशियर जब प्राकृतिक रूप से किसी पहाड़ के किनारे पहुंचकर झूलते रहते हैं। फिर टूटकर गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण गिर जाते हैं। जब चटटानें गिरनें लग जाती हैं, तो वही भूस्खलन भी हो जाता है। पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील हिंदुकुश हिमालय पर जलवायु बदलाव के कारण हिमस्खलनों का खतरा बढ़ा है। भारत में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर में हिमस्खलन ज्यादा ही होते हैं। कार्बन गैसें हिमनदों में ऊष्मीय ऊर्जा को भी बढ़ा रही हैं। बढ़ते तापक्रम व बरसातों में भी हिमपातों के दौरान गिरने वाली बर्फ को जमने का पर्याप्त समय व वातावरण नहीं मिलता है। इससे भी हिमस्खलन बढ़ रहे हैं। ताजे हिमपात की दशा में मशीनों के कंपन, निर्माण गतिविधियों, स्कीइंग गतिविधियों व तेज धूप से भी लूज स्नो एवलांच हो सकते हैं। जून, 2013 की केदारनाथ आपदा के पीछे, जिसमें पांच हजार से ज्यादा लोग हताहत हुए थे, हिमस्खलन के पहलू को नकारा नहीं जा सकता। हिमस्खलन सड़कों पर राहगीरों व वाहनों को दबा जाते हैं, तो नदी घाटियों में फ्लैश फ्लड ले आते हैं। बस्तियों या शिविरों पर हुए हिमस्खलन जान माल का भारी नुकसान करते हैं। ग्लेशियर्स अक्सर सुदूर पहाड़ों में होते हैं। सैनिक शिविरों की बात छोड़ दें, तो वहां बस्तियां कम ही होती हैं। ग्लेशियरों के पास रहना खतरनाक होता है। किंतु विभिन्न परियोजनाओं, पर्यटन या स्कींइंग के नाम पर ही हिमस्खलन जनित खतरों के मुंह तक जाने का विकल्प हम स्वत: चुनते हैं। वर्ष 2013 की केदारधाम व अन्य आपदाओं के बाद जल विद्युतीय बांधों की उनमें भूमिका के आरोपों के बीच सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड में बने और बनते बांधों से पर्यावरणीय क्षति के आकलन के लिए जो समिति बनाई थी, उसने भी पैराग्लेशियरों के दायरे में बनती योजनाओं को जोखिम भरा बताया था। किंतु विवशता है कि चीन सीमा पर भारत को सामरिक महत्व के सड़कों का निर्माण करना ही होगा। चिंताजनक तो यह है कि गरम होती पहाड़ी चोटियों व निरंतर बनती बर्फानी झीलों के बीच हिमस्खलन अनायास कभी भी हो सकते हैं। जिन चटटानों पर ग्लेशियर टिके हों, वहां छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। ऐसी स्थितियों में निर्माण कार्यों के विस्फोट भी हिमस्खलनों को उत्प्रेरित कर सकते हैं।

सीएम हाउस निर्माण में पर्यावरण नियमों की अनदेखी! NGT ने कमेटी को दिए जांच के आदेश

नई दिल्ली. राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने तथ्यात्मक स्थिति का पता लगाने के लिए तब एक समिति का गठन किया जब एक याचिका में दावा किया गया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास और उसके आसपास की संपत्तियों पर लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) द्वारा कुछ निर्माण करने में पर्यावरणीय मानदंडों का उल्लंघन किया गया है. अधिकरण उस याचिका पर सुनवाई कर रहा था जिसमें आरोप लगाया गया है कि 6, फ्लैग स्टाफ रोड (मुख्यमंत्री आवास) और 45-47 राजपुर रोड (इसके आस-पास की संपत्ति) को विकसित करने के दौरान स्थायी एवं अर्ध-स्थायी निर्माण किए गए और 20 से अधिक पेड़ काट दिये गए.

अधिकरण के अध्यक्ष न्यायमूर्ति ए के गोयल की पीठ ने कहा, 'ज दिल्ली के भीड़भाड़ वाले और प्रदूषित शहर में निर्माण के लिए पेड़ों को काटने और हरित पट्टी प्रदान करने की शर्त के अनुपालन की आवश्यकता के महत्व को देखते हुए, हम एक संयुक्त समिति का गठन करके तथ्यात्मक स्थिति का पता लगाना आवश्यक समझते हैं ज.' पीठ में न्यायिक सदस्य न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल और विशेषज्ञ सदस्य ए सेंथिल वेल भी शामिल थे. पीठ ने दिल्ली के मुख्य सचिव और प्रधान सचिव (पर्यावरण और वन) के साथ ही दिल्ली शहरी कला आयोग (डीयूएसी) के एक नामित व्यक्ति और दिल्ली के उत्तरी दिल्ली जिला मजिस्ट्रेट वाली एक समिति का गठन किया. पीठ ने कहा, 'समिति की बैठक एक सप्ताह के भीतर आहूत की जा सकती है और रिपोर्ट आज से तीन सप्ताह के भीतर प्रस्तुत की जा सकती है ज समिति किसी अन्य विभाग या प्राधिकरण के साथ बातचीत करने और स्थल पर जाने के लिए स्वतंत्र होगी और यह ऑनलाइन या ऑफलाइन बैठक कर सकती है.' एनजीटी ने कहा कि उल्लंघन के मामले में, समिति कानून के अनुसार वैधानिक अधिकारियों के समन्वय में सुधारात्मक कार्रवाई कर सकती है. मामले पर अगली सुनवायी 31 मई को करना तय किया गया. याचिका के अनुसार, निर्माण डीयूएसी की मंजूरी के बिना और हरित क्षेत्र बढ़ाने के बारे में आयोग के अवलोकन के विपरीत अवैध रूप से किए गए. इसमें यह भी दावा किया कि पेड़ों को काटने की अनुमति फरवरी 2009 के दिल्ली सरकार के आदेश में 'हेरफेर और धोखाधड़ी' द्वारा ली गई थी. याचिका में कहा गया है कि 'यह खुलासा किये बिना कि 28 पेड़ों को काटने की आवश्यकता थी जिसके लिए उच्च अधिकारियों की अनुमति चाहिए थी, 10 पेड़ों से कम की किश्तों में अनुमति ली गई. याचिका में आरोप लगाया गया है कि पेड़ों को काटने की अनुमति देने की शर्त के लिए 280 पौधे लगाने की आवश्यकता थी, लेकिन केवल 83 पौधे ही लगाए गए. इसमें कहा गया, 'इस तरह की कटाई अवैध है जिसके लिए जिम्मेदार व्यक्ति की जवाबदेही कानून के अनुसार तय की जानी चाहिए.' यह याचिका ऐसे समय में आई है जब भाजपा ने शहर की आप सरकार पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के 6, फ्लैग स्टाफ रोड स्थित आधिकारिक आवास के जीर्णोद्धार और नवीनीकरण पर 45 करोड़ रुपये खर्च करने का आरोप लगाया है.

बिहार सरकार पर लगा चार हजार करोड़ का जुर्माना, एनजीटी ने दिया आदेश

नई दिल्ली नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने बिहार सरकार पर पर्यावरण मुआवजे के तौर पर चार हजार करोड़ रुपए देने का आदेश दिया है। आदेश में कहा गया है कि बिहार सरकार सॉलिड और लिक्विड कचरे का वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण करने में विफल रही है, जिसके चलते उस पर यह जुर्माना लगाया गया है। जस्टिस एके गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा है कि जुर्माने की राशि बिहार सरकार को दो महीने के भीतर जमा करानी होगी और राज्य के मुख्य सचिव को निर्देश दिया है कि वह जुर्माने की इस राशि को राज्य में कूड़ा निस्तारण में खर्च करेंगे।

एनजीटी ने बताया कानून का उल्लंघन

पीठ में जस्टिस एके गोयल के अलावा जस्टिस सुधीर अग्रवाल और जस्टिस अरुण कुमार त्यागी के साथ ही विशेषज्ञ सदस्य अफरोज अहमद और ए सेंथिल वेल भी शामिल थे। पीठ ने अपने आदेश में कहा कि हम राज्य पर चार हजार करोड़ का पर्यावरण मुआवजा देने का निर्देश देते हैं। प्रदूषण फैलाने वाले को भुगतान करना होता है। राज्य लिक्विड और सॉलिड कचरे का वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण करने में असफल रही है। यह कानून का उल्लंघन है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी उल्लंघन है। एनजीटी ने ये भी कहा कि मुआवजे की चार हजार करोड़ की राशि से सॉलिड कचरे के प्रोसेसिंग प्लांट, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण किया जाए। एनजीटी ने कहा कि 11.74 लाख मीट्रिक टन के कचरे में से हर दिन 4072 मीट्रिक टन शहरी कचरे का प्रबंधन नहीं किया गया। साथ ही लिक्विड कचरे के उत्पादन और प्रबंधन में हर दिन 2193 मिलियन लीटर का अंतर रहा।

जागरूकता बढ़ाने की कवायद

वन विभाग ने मिशन लाइफ' साइकिल रैली का किया आयोजन

भीमपुर विश्व पर्यावरण दिवस के पूर्व वन विभाग द्वारा पर्यावरण संरक्षण तथा पर्यावरण के लिए स्वस्थ जीवन शैली के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य से विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में मंगलवार को पश्चिम वनमंडल के विभिन्न परिक्षेत्रों के करीब 50 वन कर्मियों द्वारा साइकिल रैली निकाली गई। यह रैली भीमपुर ईको सेंटर से शुरू हुई। इस दौरान लोगों को झ पर्यावरण बचाओ, स्वस्थ जीवन शैली अपनाओ' का संदेश दिया गया। भीमपुर के मुख्य मार्गों से होते हुए वापस साइकिल रैली ईको सेंटर पर पहुंची। इस रैली में पश्चिम वनमंडल बैतूल वरुण यादव, उपवनमंडलाधिकारी शिव अवस्थी, वन परिक्षेत्र अधिकारी मोहदा अतुल भोयर समेत अन्य मौजूद थे।

सरल जीवन से पर्यावरण को बचाने का संकल्प लेकर बढ़े युवा

कठुआ। लाइफ मिशन अभियान का सोमवार से आगाज हो गया। एक महीने तक चलने वाले इस अभियान का आगाज जागरूकता रैली के साथ हुआ। रैली को डीएफओ और वाइल्ड लाइफ वार्डन ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान रैली में युवा व कर्मचारियों ने लोगों से अपील की कि वह सरल जीवन अपना कर पर्यावरण को बचाने का संकल्प लें।

वन, पारिस्थितिकी और पर्यावरण विभाग ने जिला प्रशासन के सहयोग से एक माह के इस अभियान का बिगुल बजाया है। सोमवार को आयोजित रैली में बड़ी संख्या में विद्यार्थियों, युवाओं और वन विभाग के कर्मचारियों ने भाग लिया। डीएफओ कठुआ खालिद अमीन मेहता और वाइल्ड लाइफ वार्डन विजय कुमार वर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित लाइफ मिशन अभियान पर प्रकाश डाला। बताया कि प्रधानमंत्री वैश्विक स्तर पर जलवायु को लेकर व्यक्तिगत व्यवहार लाने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। बताया कि मिशन लाइफ हमें वह सब करने के लिए प्रेरित करता है जो पर्यावरण की रक्षा के लिए हमारे दैनिक जीवन में किया जा सकता है। कहा कि अपनी जीवन शैली में बदलाव करके पर्यावरण की रक्षा की जा सकती है। सभी प्रतिभागियों को प्रोत्साहित किया गया कि वे अपने जीवन में सरल परिवर्तन अपनाकर अपनी-अपनी क्षमताओं के साथ अभियान में योगदान दें। साथ ही बताया गया कि अभियान के तहत एक महीने की कार्य योजना तैयार की गई है, जिसमें वन विभाग के सभी विंग विंगों द्वारा जिले भर में विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। वहीं डीएफओ विवेक मोदी ने भी संबोधित किया।

शहर में चलेगा फेंको नहीं रिसाइकल करो अभियान, पर्यावरण संरक्षण के साथ स्वच्छता में मिलेगी मदद

भोपाल । मेट्रेस को रिसाइकल करने के प्रति आमजन में जागरूकता लाने के लिए निगमायुक्त केवीएस चौधरी ने 'फेकों नहीं रिसाइकल करो'अभियान का दीप प्रज्जवलित कर शुभारंभ किया। यह अभियान द कबाड़ीवाला डाटकाम द्वारा पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने, कचरे की मात्रा कम करने के उद्देश्य से प्रारंभ किया गया है।

निगमायुक्त ने गोविंदपुरा इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के आडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में अभियान का शुभारंभ करते हुए कहा कि स्वच्छता, कचरे की मात्रा में कमी और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में यह अभियान अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेगा। एक गद्दा रबर, कपास, कायर, फोम सहित अन्य रिसाइकल योग्य वस्तुओं से बना होता है। आमतौर पर लोग पुराने गद्दों को या तो जला देते हैं या फिर कचरे/कबाड़ में फेंक देते हैं जिससे पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है भूमि की उर्वरकता खो जाती है और भूमि बंजर हो जाती है। पुराने गद्दों को रिसाइकल कराने के लिए द कबाड़ीवाला डाटकाम बेवसाइट व एप पर संपर्क किया जा सकता है।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक सोनल मेहता केलिए प्रतीक्षा ग्राफिक्स, 127 देवी अहिल्या मार्ग, इंदौर (म.प्र.) से मुद्रित एवं 209-बी शहनाई रेसीडेंसी-2 कनाड़िया रोड इंदौर (म.प्र.) से प्रकाशित। संपादक: डॉ. सोनल मेहता फोन : 0731-2595008 Mail.sonal12mehta@yahoo.co.in 9755040008